

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p><b>छोटूराम बनाम लो.सू.अ. ( अपर जिला कलक्टर प्रथम, जोधपुर )</b></p> <p><b>सू.अ.अ. अपील संख्या 158 / 2020</b></p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
--------------------	--	--

21.10.20

अपीलार्थी छोटूराम पुत्र स्व. भोपालराम, निवासी बालेसर सता, तहसील बालेसर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 14.07.2020 में उसके द्वारा (1) श्रीमान्जी के आदेश क्रमांक राजस्व/71/2569 दिनांक 14.07.1971 के द्वारा मेरे पिता स्व. भोपालराम को आवंटित कृषि भूमि खसरा नम्बर 30 में से 13 बीघा राजकीय विद्यालय के नाम दर्ज करने व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( कलक्टर कार्यालय जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

